छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-20

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2013

(फाल्गुन-24, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रामदेव राम अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री रामसेवक पैकरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 24 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल कर यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) डॉ.शिवकुमार डहरिया (अनुपस्थित), सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रविन्द्र चौबे, सदस्य ने जिला-रायपुर, विकासखण्ड अभनपुर में क्राउन विला एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कृषि भूमि पर अवैध आवासीय प्लाटिंग किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए:-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(3)	डॉ.शक्राजीत नायक
(4)	डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री रविन्द्र चोबे
(5)	श्री देवजी पटेल
(6)	श्री मोहम्मद अकबर
(8)	श्री मोहम्मद अकबर
(11)	डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री शिवराज सिंह उसारे
(12)	डॉ.कृष्णमूर्ति बांधाी
(13)	श्री ताम्रध्वज साहू
(14)	श्री रविन्द्र चौबे
(15)	श्री गुरूमुख सिंह होरा
(16)	सर्वश्री गुरूमुख सिंह होरा, राजकमल सिंघानिया, लेखराम साहू
(18)	डॉ.शक्राजीत नायक
(19)	श्री धर्मजीत सिंह
(21)	श्री भीमा मंडावी
(22)	श्री शिवराज सिंह उसारे
(24)	सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री दूजराम बौद्ध

(2) श्री नंद कुमार पटेल

(3) श्री धर्मजीत सिंह

(4) श्री सौरभ सिंह

(5) श्री रामदेव राम

(6) डॉ.शक्राजीत नायक

(7) श्री भोलाराम साहू

(8) श्री अग्नि चन्द्राकर

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री देवजी पटेल

(2) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी

(3) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा

(4) श्री दूजराम बौद्ध

7.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मांग संख्या 71, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65 एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान से संबंधित मांग संख्या 48 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-1 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, ताम्रध्वज साहू, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भजन सिंह निरंकारी, लेखराम साहू **मांग संख्या-2 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-6 पर** श्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-60 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-12 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, ताम्रध्वज साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री भजन सिंह निरंकारी

मांग संख्या-25 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भजन सिंह निरंकारी **मांग संख्या-32 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-71 पर** श्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-48 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, टी.एस.सिंहदेव, विरेन्द्र कुमार साहू, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

(डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, फूलचंद सिंह, लखमा कवासी,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री खेदूराम साहू, देवेन्द्र बहादुर सिंह, राजूसिंह ठाकुर, अमरजीत भगत, (रामजी भारती-अनुपस्थित), श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सर्वश्री ह्दयराम राठिया, नंदकुमार साहू, (डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्री लेखराम साहू-अनुपस्थित), श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, भोलाराम साहू, श्री देवजी पटेल (चर्चा अपूर्ण)

8. अशासकीय संकल्प

(1) "सदन का यह मत है कि प्रदेश की शाला भूमि से अतिक्रमण हटाया जाय तथा प्रत्येक गांवों में शाला खोलने हेतु स्थान सुनिश्चित कर शाला भवन निर्माण हेतु आवंटित किया जाय।"

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी पटेल, टी.एस.सिंहदेव, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) "सदन का यह मत है कि प्रदेश में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालयों में उपचार हेतु मरीजों के साथ आये हुये परिजनों के लिये सुविधायुक्त प्रतीक्षालय भवन का निर्माण कराया जाय।"

श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

9. अशासकीय विधेयक

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति चाही।

10. औचित्य का प्रश्न एवं व्यवस्था

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने विधेयक के पुरःस्थापन पर आपत्ति करते हुए औचित्य का प्रश्न उठाया कि विधेयक में अनेक ऐसी बातें शामिल हैं, जो विधान सभा के विचारण से बाहर हैं। अतः इसे पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाए।

नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह, मोहम्मद अकबर ने भी विचार व्यक्त किये।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - किसी विधेयक के पुरःस्थापन के समय विधेयक को पुरःस्थापन की अनुमति दी जाय या नहीं यह परंपरा रही है कि सभा ही इस संबंध में निर्णय ले कि सभा पुरःस्थापन की अनुमति देना चाहती है या नहीं । अतः इस विषय पर सभा की राय ली जायेगी।

11. अशासकीय विधेयक (क्रमशः)

माननीय अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति के प्रस्ताव पर सभा का मत लिया गया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मत विभाजन की मांग की गई।

अशासकीय विधेयक पर मत विभाजन हुआ।

अशासकीय विधेयक के पक्ष में 25 और विपक्ष में 37 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
पुर:स्थापन की अनुमति नहीं दी गई।

रात्रि 7.05 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 18 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 27 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा